



Government of Rajasthan e-Registration Fee Receipt

FIRST COPY

SRO Unique ID RJ000000000000
S R Location KOTA-I
Receipt No RJ1474602880367
Name Of Seller K G V INFRA PROJECTS PVT LTD
Name Of Buyer SURESH MATHUR ADV
Type of Document Others - Search 2020-2024
ACC Reference SHCIL/SHCIL RAJASTHAN/KOTA I

Receipt Date

14-OCT-2024 14:13

Paid Fees

Particulars

Amount (Rs.)

Particulars

Amount (Rs.)

Registration Fees

₹ 0

CSI

₹ 0

Copy of Fees

₹ 0

Record Inspection Fees

₹ 250

Late Fees

₹ 0

Commission Fees

₹ 0

Other Charges

₹ 0

Total Amount

₹ 250

Service Charges

₹ 10

Grand Total

₹ 260

(Rupees Two Hundred Sixty Only)



Statutory Alert : The authenticity of this receipt should be verified at www.shcilestamp.com . Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid.



Scanned with OKEN Scanner

Date... 14-10-24

To

The Real Estate Regulatory Authority

Jaipur

Req.- Investigation of land of M/S KGV Infra Private. Limited.

Dear Sir,

NOT-ENCUMBRANCE CERTIFICATE / SEARCH REPORT

I have gone through the facts of the case and perused all the relevant documents shown to me and my legal report in this matter is as follows: -

Area 2340 Sq. Meter of Plot No. CP-6 (corner) Swami Vivekanand Nagar Kota Rajasthan.
Present owner M/S KGV Infra Private Limited.

I, Suresh Kumar, Advocate have caused necessary search in the office of Sub-Registrar Office, stamp and Registration Department, Jaipur for the period of 2023-24 and have inspected all relevant record and all other document in respect of the aforesaid property property my search report is as follow.

That plot no- CP-6 (corner) Swami Vivekanand Nagar Kota Rajasthan Area 2340 Sq. Meter is initially allotted by UIT, Kota by the M/S KGV Infra Private Limited executed a Allotment No. एफ-11/ निलामी /2023/914 Dated 29-08/2023.

After that UIT Kota executed a lease deed in favour of M/S KGV Infra Private Limited on dated 12-07-2024. The lease deed was registered with Sub Registrar Kota on Book No - 1, Note no. 1835, Page no. 199, S.N. 202403123111788 date 19.07.2024.

After that UIT Kota issued a possession Letter No. एफ 11/ विक्रय /2024/ 730-31 Date 22.07.2024 in favour of M/S KGV Infra Private Limited

After that Kota Vikas Pradhikaran issued a construction permission B1+B2+S+G+12 B1+B2+S+G+12 मंजिल (प्लिंथ 1.2 मीटर + स्टिल्ट 6.5 मीटर + 38 मीटर ऊंचाई में) की स्वीकृति चाही गई है आपके प्रस्ताव के परीक्षण उपरांत प्रस्तावानुसार B1+B2+S+G+10 वें तल तक (40 मीटर ऊंचाई तक) vide Letter No. एफ 7/डी.टी.पी. /2024/1969-81 Date 27.09.2024 in favour of M/s KGV Infra Private Limited along with approved map for construction of building.

I hereby certify that the said plot no- CP-6 (corner) Swami Vivekanand Nagar Kota Rajasthan is free from all sorts of encumbrances, charges liabilities, lies and attachment of any kind whatsoever and the title of the said property is clear, free and marketable. I hereby certify that Urban Land Ceiling Act and Tenancy Law Act, do not affect the said property and no permission or any no objection certificates for the purposes of sale are necessary. It is also hereby certified that said plot no- CP-6 (corner) Swami Vivekanand Nagar Kota Rajasthan is not hit by any restriction of Urban Land (Cellings Regulations) Act. 1976 and it is fit for equitable mortgage.

In my opinion, therefore M/S KGV Infra Private Limited is lease holder of the said land taken from UIT Kota, and M/S KGV Infra Pvt. Ltd. is having right to construct a building on the said plot: -

Please obtain the following documents: -

- (1) Allotment letter No. एफ-11/ निलामी /2023/914 Date 29-08-2023 issued by UIT Kota.
- (2) Lease deed date 12-07-2024 executed by UIT Kota in favour of M/s KGV Infra Private Limited registered with sub registrar on 19-07-2024.


SURESH MATHUR
Advocate
Opp. House No. 107
Ballabh Bari, KOTA

Suresh Mathur

Advocate

E-mail : adv.sureshmathur@gmail.com

Mobile No. : 94141-88766

Phone : 2390633

"ABHINANDAN", Opp. H.No.-107,

Ballabh Bari, KOTA-324 007

Date 14.10.24.

- (3) Possession letter no. एफ 11/ विक्रय /2024/ 730 date 22-07-2024 by UIT Kota.
- (4) Construction permission no. एफ 7/डी.टी.पी./2024/1969-81 date 27-09-2024 by UIT Kota along with approved map.
- (5) Resolution passed by Board of Directors of M/S KGV Infra Private Limited.

Thanking You

Yours faithfully

SURESH MATHUR
Advocate
Opp. House No. 107
Ballabh Bari, KOTA



Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : KOTA-I

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 19-07-2024 1:07 PM

Fee Receipt No	: 202402123017934	Receipt Date	: 19/07/2024
Name	: MS KGV INFRA PVT LTD TH DIRECTOR GAURAV VAISHNAV,	Document S. No.	: 202401123017136
Address	: C-8 ,SECTOR-C,NEAR HADIRANI CIRCLE,SHRINATHPURAM,ENGINEERING COLLEGE KOTA ,KOTA ,KOTA		
Document Type	: Lease Deed after public auction or on allotment/sale by Govt./ULB/State Enterprises		
Face Value	: ₹ 105308651	Evaluated Value	: ₹ 0
Ord-Registration Fee	: ₹ 1053087	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSl	: ₹ 300	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 473892	Stamp Duty	: ₹ 1579640
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
SiteInspection Fees	: 0	Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 3106919
		Total Amount	: ₹ 3106919

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

eStamp IN-5255222300756490W ₹ 2053532 # e-Gras Challan 32021455 ₹ 1053387

*Rebate U/S 9(1) : ₹ 4738890

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier



Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR





Presentation Endorsement

Print Date: 7/19/2024 1:55:36 PM

आज दिनांक 19 माह 07 सन् 2024 को 12:47 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री MS KGV INFRA PVT LTD TH DIRECTOR GAURAV
VAISHNAV पुत्र/पुत्री/पति श्री SHYAM MURARI VAISHNAV
उम्र 39 वर्ष, जाति 0-BRAHMIN, व्यवसाय Business
निवासी House No.:C-8, Colony: SECTOR-C, NEAR HADIRANI
CIRCLE, SHRINATHPURAM, ENGINEERING COLLEGE KOTA, Area:
SECTOR-C, NEAR HADIRANI
CIRCLE, SHRINATHPURAM, ENGINEERING COLLEGE KOTA, City:
KOTA, Pin code: 324010, District: KOTA, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
202401123017136

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
KOTA-I

Lease Deed through public auction by Govt./ULB's/ State Enterprises-(ii) Lease period exceeding 30 year or perpetual

Fees Receipt Endorsement

Print Date: 7/19/2024 1:55:36 PM

रसीद नं.	202402123017934
दिनांक	19-07-2024
पंजीयन शुल्क ₹	1053087
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	1579640
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	473892
मौका निरीक्षण शुल्क ₹	0
कुल योग	3106919

202401123017136

Lease Deed through public auction by Govt./ULB's/ State Enterprises-(ii) Lease period exceeding 30 year or perpetual

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 92021455 ₹ 1053387 #
eStamp IN-RJ55222300756490W ₹
2053532

उप पंजीयक, KOTA-I





Endorsement of Execution

Print Date: 7/19/2024 1:55:36 PM

अनु क्र. पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1 श्री/श्रीमती/सुश्री UIT KOTA , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SECRETARY UIT KOTA, व्यवसाय जाति Nagar Sudhar Nyas			Executant Age : 0 Signature :
2 श्री/श्रीमती/सुश्री MS KGV INFRA PVT LTD TH DIRECTOR GAURAV VAISHNAV, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SHYAM MURARI VAISHNAV, व्यवसाय Businessजाति 0-BRAHMIN House No.:C-8, Colony: SECTOR-C,NEAR HADIRANI CIRCLE,SHRINATHPURAM,ENGINEERING COLLEGE KOTA, Area: SECTOR-C,NEAR HADIRANI CIRCLE,SHRINATHPURAM,ENGINEERING COLLEGE KOTA, City: KOTA, Pin code: 324010, District: KOTA, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 39 Signature :

ने लेख्यपत्र Lease Deed through public auction by Govt./ULB's/ State Enterprises-(ii) Lease period exceeding 30 year or perpetual को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 105308651/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 105308651/- पूर्व में ----- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र. गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1 Name: श्री/श्रीमती/सुश्री YOGESH NAMA, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURESH KUMAR NAMA जाति CHHIPA Age: 32 Add: House No.:B-2, Colony: SAKET AWAS,RAIPURA KOTA, Area: SAKET AWAS,RAIPURA KOTA, City: KOTA, Pin code: 324004, District: KOTA, State: RAJASTHAN			Signature
2 Name: श्री/श्रीमती/सुश्री ASHOK KUMAR, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री HUKUM CHAND जाति KUMHAR Age: 40 Add: House No.:0, Colony: SOGARIYA KOTA, Area: SOGARIYA KOTA, City: KOTA, Pin code: 324002, District: KOTA, State: RAJASTHAN			Signature

202401123017136

उप पंजीयक, KOTA-

Lease Deed through public auction by Govt./ULB's/ State Enterprises-(ii) Lease period exceeding 30 year or perpetual



Registration Endorsement

Print Date: 7/19/2024 2:18:19 PM

आज दिनांक 19/07/2024 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1835 में
पृष्ठ संख्या 199 क्रम संख्या 202403123111788 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 5653 के
पृष्ठ संख्या 11 से 18 पर चस्पा किया गया।

202401123017136

Lease Deed through public auction by Govt./ULB's/ State Enterprises-(ii) Lease period exceeding 30
year or perpetual

उप पंजीयक, KOTA-I





सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL Government of Rajasthan

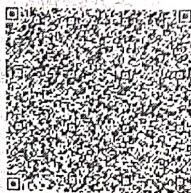
e-Stamp

Certificate No. : IN-RJ55222300756490W
Certificate Issued Date : 18-Jul-2024 02:20 PM
Account Reference : NONACC (SV)/RJ3037404/ KOTA/ RJ-KT
Unique Doc. Reference : SUBIN-RJRJ303740496304729918276W
Purchased by : MS KGV INFRA PVT LTD TH DIR GAURAV
Description of Document : Article 33(vii) Lease Deed through public auction by Govt./ULBs/ State Enterprises- Lease period exceeding 30 year or perpetual (ii)
Property Description : PLOT NO. CP-06 CORNOR AT SWAMI VIVEKANAND NAGAR COMMERCIAL SCHEME KOTA
Consideration Price (Rs.) : 10,53,08,651
(Ten Crore Fifty Three Lakh Eight Thousand Six Hundred And Fifty One only)
First Party : UIT KOTA
Second Party : MS KGV INFRA PVT LTD TH DIR GAURAV
Stamp Duty Paid By : MS KGV INFRA PVT LTD TH DIR GAURAV
Stamp Duty Payable (Rs.) : 15,79,640
(Fifteen Lakh Seventy Nine Thousand Six Hundred And Forty only)
Surcharge for Infrastructure Development (Rs.) : 1,57,964
(One Lakh Fifty Seven Thousand Nine Hundred And Sixty Four only)
Surcharge for Propagation and Conservation of Cow (Rs.) : 1,57,964
(One Lakh Fifty Seven Thousand Nine Hundred And Sixty Four only)
Surcharge for Relief from Natural and Man-made Calamities (Rs.) : 1,57,964
(One Lakh Fifty Seven Thousand Nine Hundred And Sixty Four only)
Stamp Duty Amount(Rs.) : 20,53,532
(Twenty Lakh Fifty Three Thousand Five Hundred And Thirty Two only)

For KGV Infra Pvt. Limited

Gaurav

Director



IN-RJ55222300756490W

IE 0002161977

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding.
2. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
3. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



Scanned with OKEN Scanner



क्रमांक संख्या

दिनांक

50597

नगर विकास न्यास, कोटा

परिशिष्ट -3 (देखिये नियम 16)



स्वामी विवेकानंद नगर विकास के अन्तर्गत आवासीय/व्यसायिक/आवास स्थल संख्या CP-06 के लिए।
यह अनुबन्ध पत्र आज तारीख 12/7/24 माह सन् दो हजार को एक और राजस्थान राज्य के राज्यपाल, जिन्हें एतस्मिन् पश्चात् पट्टाकर्ता कहा गया है तथा दूसरी ओर मैं श्री मैसर्स K. J. P. इन्फ्रा डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड निवासी राजस्थान (जिन्हें एतस्मिन् पश्चात् पट्टेदार कहा जाता है) जमिनीय और श्री जमिनीय के बीच निष्पादित किया गया है।

चूंकि पट्टाकर्ता ने इस विलेख से संलग्न अनुसूचित में वर्णित "प्लॉट ऑफ लैण्ड" का पट्टा, एतस्मिन् पश्चात् उल्लिखित रीति से पट्टेदार का नाम करना स्वीकार कर लिया गया है।

अब यह अनुबन्ध - पत्र साक्ष्य है कि रूपया 10530.8657 (अंकों में) रूपया फक्त एन्ट्रीड लिमिटेड साख्त आद
हजार के लिए (शब्दों में) की राशि जो प्रिमियम में इन अनुबन्धों के निष्पादन से पूर्व भुगतान कर दी गई है (जिसकी प्राप्ति पट्टाकर्ता एतद्द्वारा अभी स्वीकार करता है) के तथा नगरीकर/भाटक के तौर पर जो एतत्पश्चात् आरक्षित किया है, के और प्रसंविदाओं जो कि पट्टेदार की ओर से एतस्मिन् पश्चात् अन्तर्विष्ट की गई है, के प्रतिफल स्वीकृत पट्टाकर्ता पतद् द्वारा स्वीकृत किया गया है।

अभिन्यास में प्लॉट संख्या CP-06 माप के क्षेत्रफल लगभग 2340 वर्गमीटर/मीटर पर स्थित है। जिस आवासीय/व्यसायिक/प्लॉट/मकान का वर्णन अधिक स्पष्ट रूप से एतस्मिन् पश्चात् लिखित अनुसूची में दिया गया है तथा जिसकी चतुर्दिक् सीमायें इन अनुबन्धों के साथ लगाये गये प्लान में अधिक स्पष्ट रूप से रेखांकित की गई हैं। (एतस्मिन् पश्चात् आवासीय/व्यसायिक/प्लॉट/मकान निर्देशित किया गया है) मय उन सम्पूर्ण अधिकारों, सुखाचारों तथा सहायक वस्तुओं के, जो भी कुछ भी उक्त प्लॉट/मकान के अथवा तत्सम्बन्ध हैं, पट्टेदार को दो हजार 23 के 0.8 मास के 29 दिनों से नित्यानवर्ष की अवधि के लिए, एतद्द्वारा उक्त पट्टेदार को अन्तरिक सीमाएं धारण करने और प्रदर्थ वार्षिक नगरीय कर/भाटक के तौर पर रूपया 8775.00 अग्रिम अथवा ऐस अन्य नगरीय कर/भाट्टा की समस्त कटौतियों के पृथक् एतद्पश्चात् राजस्थान इन्स्युमेंट ट्रस्ट (डिस्पोजल ऑफ अरबलैण्ड) नियम 1974 यथा संशोधित के तथा एतस्मिन् पश्चात् अन्तर्विष्ट प्रसंविदाओं एवं शर्तों के अन्तर्गत निर्धारित किया जाए, नगर विकास न्यास, कोटा के कार्यालय में अथवा अन्य स्थानों पर जो कि पट्टाकर्ता द्वारा प्रदर्थ किया जाये, वार्षिक भुगतानों से सानुकूल भुगतान किये जाते रहने जिनमें प्रथम भुगतान तारीख प्रथम अप्रैल प्रतिवर्ष को किया जाता है, के निमित्त सदैव एतस्मिन् पश्चात् अन्तर्विष्ट अर्थात् निम्नलिखित अपवादों, आरक्षणों, प्रसंविदाओं तथा शर्तों के अधीन रहते हुए अन्तरिक करता है।

- (1) पट्टाकर्ता उक्त आवासीय/व्यसायिक/प्लॉट/मकान में अथवा तदन्तर्गत अवस्थित खानों, खनिजों, कमलों, स्वर्ण वार्जिक (गोल्ड वार्जिंग) मिट्टी के तेलों तथा क्वारिजों को तथा उनके लिए खोज करने, काम करने, हटाने तथा उपयोग करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक अथवा इष्टकर समस्त कार्य तथा बातें उक्त आवासीय/व्यसायिक/प्लॉट/मकान की सतह के लिए तथा तदुपरी तत्समय खड़ी हुई किसी इमारत के लिए कोई उदय अवलंब (बेरेटिलक सपोर्ट) की व्यवस्था किये बिना अथवा छोड़े बिना, हर समय करने का पूर्ण अधिकार तथा शक्ति स्वयं अपने लिए अभी स्वीकार तथा आरक्षित करता है, परन्तु सदैव शर्त यह है कि पट्टाकर्ता एतद्द्वारा आरक्षित अधिकारों अथवा उनमें से किन्हीं का प्रयोग किये जाने से पहुँची सीधी क्षति के लिए पट्टेदार को मुक्तियुक्त मुवावजे का भुगतान करेगा।
- (2) पट्टेदार किसी रीति से अभिन्यास के नक्शों में विचलन नहीं करेगा और न ही आवासीय/व्यसायिक/प्लॉट/मकान की साइज में चाहे उपविभाजन द्वारा एकीकरण द्वारा या अन्यथा परिवर्तन नहीं करेगा।
- (3) पट्टेदार तारीख 29 माह 08 सन् दो हजार 23 (और इस प्रकार का विनिर्दिष्ट समय संविदा का मूल तत्व होगा) से दो वर्षों की अवधि में तथा स्वयं अपने खर्च पर भवन निर्माण के नक्शे की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् आवासीय/व्यसायिक/प्लॉट/मकान पर परिनिर्माण करायेगा तथा तत्त्व और कर्म कुशल रीति से आवासीय/व्यसायिक/प्लॉट/मकान पर भवन निर्माण के स्वीकृत नक्शे के अनुसार पूर्ण करायेगा तथा नगर विकास न्यास, कोटा से उसकी पूर्णता का प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा।
- (4) पट्टेदार का सम्पूर्ण आवासीय/व्यसायिक/प्लॉट/मकान संख्या CP-06 या उसके किसी भाग को पट्टाकर्ता की पूर्व में लिखित स्वीकृति के सिवाय न बेचेगा, न अन्तरित करेगा न समुनुदेशित करेगा, और न अन्यथा अपने कब्जे से अलग करेगा।
- (5) जब कभी आवासीय/व्यसायिक/प्लॉट/मकान में पट्टेदार का हक किसी भी रीति से अन्तरित किया जाये तो अन्तर्करणकर्ता तथा अन्त रीति अन्तर्करण होने से तीन महीनों के भीतर पट्टाकर्ता को उक्त हक का अन्तर्करण लिखित नोटिस देगा।
- (6) जब कभी आवासीय/व्यसायिक/प्लॉट/मकान में पट्टेदार का हक किसी भी रीति से अन्तरित किया जाय तो अन्तरित इसमें अन्तर्विष्ट समस्त प्रसंविदाओं एवं विबन्धनों से बाध्य होगा और उनके लिए सभी प्रकार से उत्तरदायी होगा।
पट्टेदार की मृत्यु हो जाने की दशा में वह व्यक्ति जिसे मृतक हक न्यायगत हो, ऐस न्यायगमन (डिवोलुशन) से तीन माहिनों के भीतर पट्टाकर्ता को उक्त हक न्यायमन का नोटिस देगा, यदि पट्टेदार और उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में उसका उत्तराधिकारी बिना पर्याप्त कारण के उक्त नोटिस देने में विफल रहता है, तो वह ऐसी विफलता या उपेक्षा के लिए पट्टाकर्ता को रूपया 100/- देने का भारी होगा।
अन्तरित या ऐसे व्यक्ति जिन्हे हक न्यायगत हो, यथास्थिति अन्तरण या हक न्यायमन की साक्ष्य सम्बन्धी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ पट्टाकर्ता को प्रदान करेंगे।
- (7) पट्टेदार समय-समय पर तथा सभी समयों पर प्रत्येक प्रकार के स्थानीय करों (रेंट्स) करों, प्रमारों तथा नगरीय करों का जो वर्तमान में इस पट्टे के प्रवर्तनकाल में अब पश्चात् किसी भी समय एतद् पट्टा किये गये मकान/प्लॉट अथवा उस पर निर्माण किये जाने वाले किसी भवन पर या उनके सम्बन्ध में भूस्वामी अथवा आसामी पर निर्धारित, प्रभारित अथवा आरोपित किये जाये, भुगतान उनमोचन करेगा।

For KGV Infra Pvt. Limited

पट्टेदार के हस्ताक्षर

Director

अप पंजीयक, कोटा (एन)

सचिव,

नगर विकास न्यास, कोटा

- (8) एतद्वारा पट्टाङ्गित किये गये आवासीय/व्यसायिक/प्लाट/मकान से सम्बन्धित नगरीय कर/भूटंक तथा अन्य शोध भुगतानों के समस्त बकाया उसी प्रकार वसूनियाँ होंगे जिस प्रकार कि भू-राजस्व की बकाया वसूली की जाती है।
- (9) पट्टेदार नगर विकास न्यास की लिखित स्वीकृति के बिना आवासीय/व्यसायिक/प्लाट/मकान संख्या CP-06 पर कोई भवन नहीं बनायेगा या ऐसे भवन में कोई परिवर्तन या वृद्धि नहीं करेगा।
- (10) पट्टेदार पट्टाकर्ता नगर विकास न्यास की लिखित स्वीकृति के बिना मकान/प्लाट अथवा उस पर निर्मित किसी भवन में किसी प्रकार का व्यापार नहीं करेगा या किये जाने की आज्ञा नहीं देगा, अथवा उसको प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी काम में नहीं लेगा या काम में लिये जाने की आज्ञा नहीं देगा, अथवा उसमें कोई ऐसा कार्य या बात नहीं करेगा या किये जाने की आज्ञा नहीं देगा जो पट्टाकर्ता के विचार से पट्टाकर्ता के विचार तथा पडौस में रहने वाले व्यक्तियों के लिए क्लेश, संताप अथवा बाधा हो।
- परन्तु शर्त है कि पट्टेदार उक्त मकान/प्लाट या उस पर निर्मित भवन ग्रह निर्माण/व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के काम में लेने का इच्छुक हो तो पट्टाकर्ता ऐसे निबन्धानों तथा शर्तों पर जिनमें अतिरिक्त प्रीमियम तथा अतिरिक्त नगरीय कर का भुगतान किया जाना भी सम्मिलित है जैसा कि वह अपने नितान्त विवेक के निर्धारित करें, उपयोग के लिए पट्टाकर्ता की आज्ञा दे सकेगा।
- (11) पट्टेदार इस पट्टे की समाप्ति पर उक्त मकान/प्लाट संख्या CP-06 और उस पर निर्मित भवन को पट्टादाता को शान्तिपूर्वक समर्पित करेगा तथा एतद्वारा यह करार एवं घोषित किया जाता है कि जंबूतक प्रसंग में कोई भिन्न अर्थ अपेक्षित न होगा।

(अ) इन अनुबन्धों में प्रयुक्त की गई अभिव्यक्ति "पट्टाकर्ता" में राज्य सरकार के उत्तराधिकारी एवं अभिहस्तांकित तथा इन अनुबन्धों अन्तर्विष्ट अथवा इनमें उल्लिखित होने वाले किसी मामले या बात के सम्बन्ध में प्रत्येक वह व्यक्ति सम्मिलित होंगे जो ऐसे मामले या चीज के सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से करने से या उसका प्रतिनिधित्व कारने के लिए सम्पर्क प्राधिकृत हैं।

(ख) इन अनुबन्धों में प्रयुक्त में कि गई अभिव्यक्ति "पट्टेदार" में उक्त अतिरिक्त उसके वैध वारिस, उत्तराधिकारी प्रतिनिधी, अभिहस्तांकित, अन्तरिति, आसामी तथा उक्त भूमि या उस पर निर्मित भवनों का/के अधिभोगी व्यक्ति सम्मिलित है।

यदि प्रीमियम में अथवा एतद्वारा आरक्षित वार्षिक कर/भूटंक की भुगतान योग्य राशि/राशियों या उसका कोई भाग किसी समय बकाया रहे और जिन दिनों में वह शोध हो तो उन दिनों में से किसी दिन के पश्चात एक माह तक उदत्त रह गया हो, चाहे वह मांगी गई हो या नहीं, अथवा एक प्रकट हो जाये कि पट्टा किसी तथ्य को दबाकर या किसी दुष्कथन (मिस स्टेटेमेन्ट) दुव्यपदेशन (मिस रिप्रजेंटेशन) अथवा कपट से प्राप्त किया गया है या पट्टाकर्ता जिसका निर्णय अन्तिम होगा की राय में पट्टेदार या पट्टेदार की माफत दावे का हक रखने वाले या अधिन काम करने वाले किसी व्यक्ति ने एतस्मिन् अन्तर्विष्ट कोई ऐसी प्रसावदा या निबन्धन जो उसकी और अनु पालनीय या पालनीय हैं, भंग को है, तो ऐसी किसी मामले में एतद्वारा पट्टे पर अन्तरित आवासीय/व्यसायिक/प्लाट/मकान या उस पर निर्मित भवनों पर पुनः प्रवेश के अधिकार के किसी पूर्व के कारण के अधिपत्यजन के होते हुए भी पट्टाकर्ता के लिए उस आवासीय/व्यसायिक/प्लाट/मकान या उस पर निर्मित भवन अथवा स्थावर वस्तुओं पर पुनः प्रवेश करना तथा कब्जा करना विधि पूर्ण होगा और इसके पश्चात् यह पट्टा तथा एतस्मिन् अन्तर्विष्ट प्रत्येक बात अस्तित्वहीन तथा समाप्त हो जावेगी और पट्टेदार किसी मुआवजे का या उसके द्वारा भुगतान किये गये किसी प्रीमियम की वापसी का हकदार नहीं होगा।

परन्तु शर्त है कि एतस्मिन् अन्तर्विष्ट कोई बात विपरीत होते हुए भी पट्टाकर्ता पुनः प्रवेश करने के अपने अधिकार पर जैसा ऊपर कहा गया है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और अपने नितान्त विवेक पर ऐसे राशि की प्राप्ति पर तथ्यों निबन्धनों पर जो उसके द्वारा अवधारित की जाये भंजनों को अस्थायी रूप से या अन्यथा अधिव्यक्त या माफ कर सकेगा और नगरीय कर/भूटंक की उक्त राशि/राशियों का जो उक्त प्रकार से बकाया रही हो, प्रन्तह प्रतिशत 15% वार्षिक दर से ब्याज सहित अभी स्वीकार भी कर सकेगा।

नोट:- न्यास मण्डल की 174 वीं बैठक दिनांक 13/06/2008 के बिन्दु संख्या आठ के निर्णयानुसार पंजीकृत दस्तावेज जारी करने की तिथि से 45 दिवस में न्यास कार्यालय में जमा करावें अन्यथा रु. 2000/- की पेनल्टी लगाई जावेगी

ऊपरी निर्दिष्ट अनुसूची

उत्तर में Plot no. - CP-5 से बद्ध
दक्षिण में Road 11.5 m wide से बद्ध
पूरब में Road 18 m wide से बद्ध
पश्चिम में Road 36 m wide से बद्ध

For KGV Infra Pvt. Limited

है, तथा उपलब्ध प्लान में दिखाई गई और उसकी सीमाएं लाल स्याही से रेखांकित की गई है,

Gurpreet
पट्टेदार के हस्ताक्षर
Director

साक्षीगण आवंटी-

साक्षीगण न्यास-

राजस्थान राज्य के राज्यपाल के लिए
तथा उनकी ओर से हस्ताक्षरित

साक्षी,
नगर विकास न्यास, कोटा

1. हस्ताक्षर
नाम *Mahendra Singh*
पुत्र श्री *Pratap Singh*
पता *1181 Borkhara Kote*
2. हस्ताक्षर
नाम *Yogesh Nam*
पुत्र श्री *Suresh Nam*
पता *2-B-2 Saket Awas Kote*

1. हस्ताक्षर
नाम *श्रीमती कमलता यादव*
पुत्र श्री *कनि. सिद्धिक*
पता *...*
2. हस्ताक्षर
नाम *...*
पुत्र श्री *...*
पता *...*

जय पंजीयक, कोटा (प.रा.सो.)



कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक :- एफ-11/नीलामी/2023/ 914

दिनांक : 29/08/2023

निमित्त:-

M/S KGV INFRA PRIVATE LIMITED

जय श्री गौरव

Address:-C304/2, Talwandi, Kota, (Raj) 324005

विषय:-आवास/भूखण्ड/दुकान संख्या सीपी-06 कॉर्नर योजना स्वामी विवेकानंद नगर व्यावसायिक योजना का 99 वर्षीय पट्टेदारी पर विक्रय खुली नीलामी/ई-ऑक्शन करने के कम में।

राजस्थान इन्फ्रामेन्ट ट्रस्ट (डिस्पोजल आफ अरबन लैंड) रूल्स 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 27.06.2023 को प्रसारित नीलामी की सूचना के अनुसरण में दिनांक 24.07.2023 से 26.07.2023 को ई-ऑक्शन में उक्त आवासीय कम व्यावसायिक/आवासीय/व्यवसायिक/मल्टीप्लेक्स/भूखण्ड/दुकान/आवास आपके द्वारा लगाई बोली रू0 45000/- प्रति वर्गफुट/वर्ग मीटर से विक्रय किया गया है। अध्यक्ष महोदय नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा उक्त बोली (बिड) की स्वीकृति (Acceptance) प्रदान कर दी है। इस भूखण्ड/आवास/दुकान का क्षेत्रफल 2337.84 वर्ग मीटर/वर्गफीट है। जिसका कुल प्रीमियम (मूल्य) उक्त बोली अनुसार रू0 105202800/- होता है। इस राशि में से नीलामी समाप्ति के तीन कार्य दिवस के अन्दर प्रीमियम की 15 प्रतिशत राशि रू0 15780420/- में से धरोहर राशि (अरनेस्ट मनी) रू0 1620500/- समायोजित करते हुए शेष राशि रू0 14159920/- पर 1 प्रतिशत T.D.S. राशि रू0 NIL कम करते हुए शेष राशि रू0 14159920/- रसीद नम्बर/चालान नम्बर 2889 राशि रू0 14159920/- दिनांक 24.08.2023 को आपके द्वारा जमा करा दिये हैं।

अतः कुल प्रीमियम की 35 प्रतिशत राशि रू0 36820980/- में से 1 प्रतिशत T.D.S. राशि रू0 526014/- कम करते हुए शेष राशि रू0 36294966/- नीलामी समाप्ति तिथि से 120 दिवस में इस कार्यालय में जमा कर रसीद प्राप्त करें।

आपको यह सूचित किया जाता है कि यदि आप नीलामी समाप्ति तिथि से 120 दिवस में 35 प्रतिशत राशि जमा कराने में असफल रहे तो नियमानुसार 121 वें दिवस से अगले 60 दिवस तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित जमा करानी होगी।

शेष देय 50 प्रतिशत राशि रू0 52601400/- में से भूखण्ड के 1 प्रतिशत के आधार पर T.D.S. राशि रू0 526014/- न्यास का पेन नम्बर AAALU0110D एवं पिन कोड 324009 से चालान जमा कराते हुए मय चालान 26-QB एवं 16-B की प्रति के साथ शेष राशि रू0 52075386/- तथा साईट प्लान/टाईप डिजाइन फीस रू0 100/- कुल राशि रू0 52075486/- का चैक/डी.डी. न्यास कार्यालय में नीलामी समाप्ति दिनांक से 180 दिवस में प्रस्तुत करें। यदि बोलीदाता 50 प्रतिशत राशि 180 दिवस में जमा कराने में असफल रहता है तो नियमानुसार 181 वें दिवस से 90 दिवस तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित जमा करानी होगी।

यदि सफल बोलीदाता मांगपत्र जारी होने की दिनांक से 15 दिवस में सम्पूर्ण राशि जमा करवाता है तो उसे सम्पूर्ण देय राशि (Bid Amount) पर 2 प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी।

यदि बोलीदाता निर्धारित अवधि (वृद्धि सहित) में राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो जमा करवाई गई 15 प्रतिशत राशि जब की जाकर भूखण्ड/आवास/दुकान की नीलामी स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।

उक्त योजना की आरक्षित दर रू0 7500/- प्रति वर्ग मीटर है। यह भूखण्ड/आवास/दुकान आपको 99 वर्षीय पट्टेदारी के आधार पर विक्रय किया गया है। अतः प्रीमियम के अतिरिक्त उक्त नियमों के नियम 7 के अधीन आपको रिजर्व प्राईज का आवासीय पर 2.5 प्रतिशत एवं व्यवसायिक पर 5 प्रतिशत नगरीय कर नियमानुसार जमा कराना होगा। जो प्रथम 5 वर्ष में आधा देय होगा। निर्मित आवास पर 2.5 प्रतिशत एवं निर्मित दुकान पर 5 प्रतिशत से नगरीय कर देय होगा। इस नगरीय कर की दर आगामी 15 वर्ष बाद पुनः संशोधित की जावेगी। जो 25 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है।

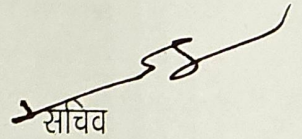
भूमि जिस प्रयोजन हेतु विक्रय/आवृत्ति की गई है उसी प्रयोजन हेतु उपयोग किया जाना होगा। अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग न्यास की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जा सकेगा।

भूखण्ड पर निर्माण कार्य पूर्ण करने की अवधि 7 वर्ष होगी। आवासीय/व्यावसायिक भूखण्ड नीलामी में (आवासीय या व्यावसायिक उद्देश्य के लिए जिसमें एक आवासीय इकाई (एक कमरा, रसोई, एवं लेट-बाथ) व्यावसायिक होने पर एक वाणिज्यिक इकाई, जैसी भी स्थिति हो या गुप हाउसिंग/फ्लेट्स/संस्थानिक प्रयोजन/व्यावसायिक प्रयोजन इत्यदि के लिए ग्राउण्ड कवरेज क्षेत्र के 1/5 भाग पर निर्माण) करने पर कोई शर्त देय नहीं होगी। 7 वर्ष की अवधि में निर्माण कार्य नहीं करने पर नियमानुसार शास्ती देय होगी।

न्यास मण्डल की 177 वीं बैठक के विन्दु संख्या 6 के अनुमोदन अनुसार आप द्वारा प्रस्तुत वकाया राशि अन्तिम तिथि तक न्यास कार्यालय में चैक (पेयबल एट पार)/डी0डी0 जमा करवाने पर राशि जमा मानी जावेगी, वशर्त चैक/डी0डी0 डिसऑनर नहीं हो जाये।" यदि क्रेता भूखण्ड/आवास/दुकान की राशि जर्ने R.T.G.S. से जमा करना चाहता है तो उसे R.T.G.S. कराने से पूर्व न्यास से उक्त राशि का चालान प्राप्त करना आवश्यक होगा।

भूखण्ड/आवास की सम्पूर्ण राशि जमा होने के एक माह में रजिस्ट्री प्रपत्र प्रेषित करें अन्यथा नियमानुसार प्रतिमाह शर्तित वसूल की जावेगी।

नोट:- एक मुश्त नगरीय कर की राशि (8 वर्ष) के साथ 2 वर्ष की अतिरिक्त लीज राशि जमा करने पर भूखण्ड का फ्री होल्ड पट्टा जारी कर दिया जायेगा।



सचिव
नगर विकास न्यास, कोटा



कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक :- एफ11/विक्रय/2024/730-31

दिनांक :- 22/7/24

निमित्त :-

मै0 के0जी0वी0 इन्फ्रा प्रा0 लि0 जयें श्री गौरव

पता : - सी-304/2, तलवंडी, कोटा।

विषय :- भूखण्ड संख्या CP-06 corn. योजना स्वामी विवेकानन्द नगर व्यवसायिक का कब्जा देने हेतु।

1. आपको विक्रय/आवंटित किये गये भूखण्ड के क्षेत्र का नाप किया गया है। अतः इस पत्र में भेजी हुई तारीख से 15 दिन की अवधि में अधिदर्शक/क0 अभि0 जो इस कार्यालय में प्रत्येक कार्य दिवस को सांय 3 से 5 बजे तक उपलब्ध होते हैं द्वारा कब्जा प्राप्त कर लें। यदि इस अवधि में भौतिक कब्जा प्राप्त नहीं किया गया तो न्यास द्वारा आपका कब्जा किया हुआ माना जायेगा।
2. भूखण्ड का वास्तविक क्षेत्रफल 2340 वर्गमीटर/वर्गफीट है।
3. कब्जा देने से पूर्व रजिस्टर्ड रजिस्ट्री की छायाप्रति की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करवाना अनिवार्य होगा। जिसके आधार पर कब्जा दिया जावेगा।

संलग्न :

साईट प्लान

(Signature)

उपरोक्त भूखण्ड का कब्जा दिनांक 22/7/24 को मौके पर

दिया गया।

उप सचिव

नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक :-

दिनांक :-

प्रतिलिपि : श्री पदीप असवाल भवन निरी0/क0अभि0

नोट : 15 दिवस में कब्जा सम्भला कर कब्जा प्राप्ति रसीद सम्मिलित फाईल करें।



(Signature)
उप सचिव
नगर विकास न्यास, कोटा